हरयिाणा मंत्रमिंडल के महत्त्वपूर्ण नर्णिय

चर्चा में क्यों?

11 अक्तूबर, 2023 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आयोजति हरयिाणा मंत्रमिंडल की बैठक में हरयिाणा नगर शहरी नर्मिति-योजना सुधार नीति 2023 को मंज़ूरी देने के साथ ही कई अन्य महत्त्वपूर्ण नर्णिय लयिे गए।

प्रमुख बिंदु

- हरयिाणा नगर शहरी नर्मिति-योजना सुधार नीति 2023 के तहत हरयिाणा के अनयिोजति क्षेत्र में आवासीय भूखंडों को व्यावसायकि उपयोग में बदलने की अनुमति दी जाएगी। शर्त यह है कि कॉलोनी कम-से-कम 50 साल पहले बनी हो।
    - यह नीति हरयिाणा शहरी वकिास प्राधकिरण (एचएसवीपी), हाउसगि बोर्ड (हरयिाणा), हरयिाणा राज्य औद्योगकि बुनयिादी ढाँचा वकिास नगिम और टाउन एंड कंट्री प्लानगि वभिाग के क्षेत्रों को छोड़कर नगर पालकिा सीमा के मुख्य क्षेत्रों के भीतर बसे आवासीय क्षेत्रों में लागू होगी।
    - यह योजना उन प्लॉटों पर भी लागू होगी, जन्हिोंने अपने प्लॉट को वभिाजति कर दयिा था। फ्लोर एरयिा रेशयिो (एफएआर), ग्राउंड कवरेज और प्लॉट की ऊँचाई जैसे पैरामीटर मूल आवासीय योजना के अनुरूप रहेंगे। मूल योजना की बल्डिगि लाइन का भी रखरखाव कयिा जाएगा।
    - आवेदन प्रक्रयिा को शहरी स्थानीय नकिाय वभिाग की ओर से वकिसति एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से सुवधिाजनक बनाया जाएगा। आवेदन के लयिे संपत्ति मालकिों को रूपांतरण शुल्क के रूप में 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर जाँच शुल्क का भुगतान और वाणज्यिकि कलेक्टर दर का पाँच फीसदी वकिास शुल्क देना होगा।
    - परवर्तिति क्षेत्र पर उन्हें 160 रुपए प्रति वर्ग मीटर का कंपोजशिन शुल्क भी देना होगा। इसके लयिे आवेदक को 31 मार्च, 2024 तक आवेदन करना होगा। अगर इस समयावधि के दौरान भूखंड मालकि आवेदन नहीं करते हैं तो उनके खलिाफ कार्रवाई की जाएगी।
    - अवैध व्यावसायकि भवनों की पहचान करने और रास्ते के अधकिारों व प्रभावति भूखंडों का नक्शा बनाने के लयिे सर्वेक्षण कयिा जाएगा। अगर कसिी संपत्ति को अस्वीकार कर दयिा जाता है या नयिमितीकरण के लयिे आवेदन नहीं कयिा जाता है तो नगर पालकिाएँ अवैध नर्मिाण को तोड़कर इमारत को मूल स्थति में बहाल कर सकती हैं या लाइसेंस रद्द कर सकती हैं।
- मंत्रमिंडल की बैठक में नगर पालकिाओं और नगर सुधार ट्रस्टों की ओर से आवंटति सगिल (एकल) बूथ, दुकानों और सर्वसि बूथों पर पहली मंज़लि या बेसमेंट या दोनों के नर्मिाण को मंज़ूरी दी गई। इसके लयिे भी नीति को मंत्रमिंडल ने मंज़ूरी दी है।
    - बूथ पर पहली मंज़लि या बेसमेंट या दोनों के मौजूदा अनधकिृत नर्मिाण का नयिमति करने के लयिे 31 मार्च, 2024 तक आवेदन करना होगा।
    - पहली मंज़लि या बेसमेंट या बूथ के नर्मिाण के लयिे नई अनुमति हेतु समय-सीमा तय नहीं है। यह नीति उन नयिंत्रति क्षेत्रों पर लागू नहीं होगी, जनिके लयिे भूमि उपयोग परवर्तिन (सीएलयू) की अनुमति की आवश्यकता होती है।
    - इसमें नगर पालकिा सीमा के भीतर नगर एवं ग्राम नयिोजन वभिाग से स्वीकृत लाइसेंस प्राप्त योजनाएँ भी शामलि नहीं हैं।
    - इसके अलावा नीति में तहबाज़ारी या खोका के तहत दुकानों या नगर पालकिाओं की ओर से आवंटति कसिी भी अस्थायी संरचना को शामलि नहीं कयिा गया है।
    - आवेदकों से प्रस्तावति कुल नर्मिति क्षेत्र पर 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर का शुल्क लयिा जाएगा। मौजूदा प्रथम तल या बेसमेंट नर्मिाण के नयिमितीकरण के लयिे शुल्क 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर है, लेकनि यह भूतल पर संरचना सहति भूखंड पर प्रस्तावति और मौजूदा नर्मिति क्षेत्र, दोनों पर लागू होता है।
- बैठक में हरयिाणा डजिटिल मीडयिा वज्ञिापन नीति को मंज़ूरी दी गई। यह नीति सोशल मीडयिा समाचार चैनलों और सोशल मीडयिा इन्फ्लूएंसर को शामलि करने के लयिे लाई गई है।
    - वर्ष 2007 और 2020 की मौजूदा नीति केवल प्रटि मीडयिा, इलेक्ट्रॉनकि मीडयिा और वेबसाइट तक ही सीमति थी। नई नीति के तहत सोशल मीडयिा समाचार चैनलों को उनके ग्राहकों, अनुयायियों और सोशल मीडयिा अकाउंट पर पोस्ट की संख्या को ध्यान में रखते हुए पैनल में शामलि करने के लयिे पाँच श्रेणयिाँ बनाई गई हैं।
    - डीआईपीआर हरयिाणा की ओर से इन श्रेणयिों के अनुसार सोशल मीडयिा समाचार चैनलों को सूचीबद्ध कयिा जाएगा। पैनल सलाहकार समति प्रत्येक श्रेणी, वज्ञिापन प्रारूप और सोशल मीडयिा प्लेटफॉर्म के लयिे समय-समय पर दरें तय करेगी।
- मंत्रमिंडल ने प्रदेश के पत्रकारों की पेंशन को 10 हज़ार रुपए से बढ़ाकर 15 हज़ार रुपए करने की भी मंज़ूरी दे दी है।
- मंत्रमिंडल ने यात्रयिों की सुवधिा के लयिे स्टेट कैरजि बसों के करियिे में पाँच रुपए तक के करियिे को राउंड ऑफ करने की मंज़ूरी दी है। साढ़े सात कमी. तक यात्रा करने पर पाँच रुपए और आठ से दस कमी. की यात्रा करने पर दस रुपए लयिे जाएंगे। इससे अब आम जनता के साथ-साथ कंडक्टरों को भी सक्किों और चेंज जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा।

//

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/important-decisions-of-haryana-cabinet